भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 565

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

कैब एग्रीगेटर्स के लिए किराया प्रणाली का विनियमन

565. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कैब संचालक कंपनियां प्रायः सरकार द्वारा विनियमित टैक्सी किराया प्रणालियों द्वारा निर्धारित किराए से अधिक किराया वसूलते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कैब संचालक कंपनियों के लिए किराया संरचनाओं को विनियमित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने की योजना बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विशेषकर व्यस्ततम घंटों के दौरान अत्यधिक दरें नहीं वसूल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा कैब संचालक कंपनियों द्वारा मूल्य निर्धारण में वृद्धि की निगरानी और विनियमन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं के लिए किराए की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(घ) विशेषकर सरकार द्वारा विनियमित किराया प्रणालियों की तुलना में उपभोक्ताओं को असंगत ढंग से अत्यधिक राशि वसूले जाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार निजी संचालक कंपनियों और सरकारी टैक्सी सेवाओं सहित परिवहन के सभी साधनों में एक समान किराया संरचना के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) (i) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 नवंबर, 2020 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसार मोटर वाहन एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2020 जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को लाइसेंस जारी करने के साथ-साथ ऐसे संचालकों (एग्रीगेटर्स) द्वारा किए जा रहे व्यवसाय को विनियमित करने पर विचार करने के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा प्रदान करते हैं। दिशानिर्देशों का खंड 13 किराए के विनियमन से

संबंधित है। इस खंड में आधार न्यूनतम किराया, मूल्य निर्धारणों में वृध्दि और ड्राइवरों और एग्रीगेटर्स के बीच किराए के वितरण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

(ii) सड़क द्वारा परिवहन एक राज्य का विषय है और केंद्र सरकार की भूमिका मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के तहत नियमों/विनियमों को अधिसूचित करना है। मोटर यान अधिनियम, 1988 निजी एग्रीगेटर्स और सरकारी टैक्सी सेवाओं सहित सड़क परिवहन के लिए किराया संरचना का विनियमन संबंधित शहरों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है।

*****